म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था

59, द्वितीय तल, "सी" ब्लॉक नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र.)

क्र.8736/03/NREGS-MP/NR 16-17/11

भोपाल, दिनांक 30/08/2011

प्रति,

- **कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक**
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
  जिला– समस्त।

विषय– पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं अंतर्गत वृक्षारोपण गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु पौधों का क्रय एम.पी. एग्रो के माध्यम से किये जाने के संबंध में।

संदर्भ–
1. **अपर मुख्य सचिव, पं.ग्रा.वि.वि. म.प्र.शासन द्वारा जारी परिपत्र 8148, दि.23.06.10**
2. **सचिव, पं.ग्रा.वि.वि. म.प्र.शासन द्वारा जारी परिपत्र 9783, दि.15.06.11**
3. **परिषद कार्यालय का पत्र क्र. 8207, दिनांक 03.08.10 एवं संशोधित पत्र क्र. 8802, दिनांक 20.08.10**
4. **परिषद कार्यालय का पत्र क्र. 4488, दिनांक 15.07.2008**
5. **प्रबंध संचालक, एम.पी.एग्रो का पत्र क्र. 345, दिनांक 21.04.2011**

विषयांतर्गत शासन स्तर से लिए गए निर्णय अनुसार वृक्षारोपण गतिविधि हेतु पौधां की अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए जिले में नर्सरियाँ स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रारंभ की जाये। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 (एक सीजन) हेतु क्रियान्वयन एजेन्सियों को एम.पी.एग्रो के माध्यम से पौधे क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के तहत दी जाती है :–

1. **गुणवत्ता नियंत्रण** – गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में जिले में पदस्थ सहायक संचालक उद्यान/ सहायक कृषि उद्यानिकी द्वारा उच्च गुणवत्ता, मानक स्तर, संख्या एवं दर अभिप्रमाणित करने के उपरांत ही जिला स्तर से पौधों का क्रय किये जाने की अनुशंसा अनिवार्य होगी।

2. पौध उपलब्धता – शासकीय विभागों की नर्सरियों जैसे –
   - वन विभाग,
   - जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर,
   - उद्यानिकी विभाग/राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन (NHM) के तहत वित्त पोषित मॉडल नर्सरियों तथा उधमिता विकास योजनांतर्गत लाभान्वित कृषकों की निजी भूमि पर स्थापित नर्सरियों से जिले की मांग अनुसार पौधों की पूर्ति न हो पाने की स्थिति में शासन एवं परिषद स्तर से पौध क्रय से संबंधित जारी दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए एम.पी.एग्रो के माध्यम से उच्च गुणवत्तापूर्ण एवं मानक स्तर के पौधे शासकीय दर अनुसार क्रय किये जा सकते हैं।

3. निर्धारित मापदण्ड (स्पेसिफिकेशन) – प्रजातिवार निर्धारित मापदण्ड (स्पेसिफिकेशन) हेतु परिषद से जारी पत्र क्र. 4428, दिनांक 15.07.08 में दर्शित दिशा–निर्देशों अनुसार कार्यवाही की जावे।

4. अनुबंध का निष्पादन – एम.पी.एग्रो के माध्यम से पौधे क्रय करने हेतु संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं एम.पी.एग्रो के मध्य एम.ओ.यू. (अनुबंध निष्पादन) किया जाना अनिवार्य होगा, इस हेतु प्रबंध संचालक, एम.पी.एग्रो को परिषद से जारी पत्र क्र. 4382, दिनांक 01.6.09 द्वारा दिये गये अनुबंध प्रारूप (संलग्न) एवं दिशा–निर्देशों अनुसार कार्यवाही की जावे।

विभिन्न योजनाओं के अतर्गत वृक्षारोपण गतिविधि/नंदन फलोद्यान उपयोजना के क्रियान्वयन हेतु एम.पी.एग्रो के माध्यम से पौधों का क्रय उपरोक्तानुसार दर्शित दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुये किया जाना सुनिश्चित करें। वर्तमान वर्ष 2011–12 के परिणामों, (Review) के आधार पर भविष्य में अनुमति दिए जाने के संबंध में विचार किया जायेगा।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(नीरज मंडलोई)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

पृष्ठा.क्र. 8737/03/NREGS-MP/11
प्रतिलिपि,

भोपाल, दिनांक 30/08/11

प्रबंध संचालक, एम.पी.स्टेट एग्रो. इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन तृतीय तल, पंचानन भवन मालवीय नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

अनुबंध–पत्र

मनरेगा अंतर्गत विभिन्न वृक्षारोपण/नंदन फलोद्यान उपयोजनांतर्गत विभिन्न प्रजाति के एम.पी.एग्रो द्वारा पौधे क्रय करने के संबंध में एम.ओ.यू. (अनुबंध)

पक्षकार क्रमांक – 1 पौध प्रदायकर्ता : ....
(एम.पी.एग्रो)
....

पक्षकार क्रमांक – 2 पौध प्राप्तकर्ता
(मुख्य कार्यपालन अधिकारी) ....
जिला पंचायत ....

यह कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत वृक्षारोपण/नंदन फलोद्यान उपयोजना के क्रियान्वयन में पौधे क्रय करने हेतु दिनांक .... को मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–मध्यप्रदेश, जिला पंचायत .... (पक्षकार क्रमांक–2) एवं .... (पक्षकार क्रमांक–1) द्वारा निम्नानुसार अनुबंध निष्पादित किया जाता है :–

क्र.	नाम प्रजाति	किस्म	पैकिंग	संख्या	प्रति पौधा क्रय मूल्य	पौधा प्रदाय करने का समय	पौधे की मानक गुणवत्ता

अनुबंधकर्ता पक्षकार क्रमांक–1 को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा –

1. अनुबंध में उल्लेखित प्रजातियों के उत्तम गुणवत्तायुक्त पौधे जिले की अथवा निकट की शासकीय नर्सरियों में उपलब्ध करावे।
2. पौधे प्रदाय करते समय जिला स्तर पर परीक्षण कमेटी में वन विभाग/उद्यानिकी विभाग के प्रतिनिधि आवश्य सम्मिलित होंगे।
3. प्रदाय किये जाने वाले पौधे संपूर्ण रूप से उच्च गुणवत्तायुक्त, निरोगी हों।
4. आम एवं अमरूद के इनार्चिंग पद्धति से पौधे तैयार न किये गये हो।
5. ...डिंग व ग्राफ्टिंग हेतु कीट व्याधियों से मुक्त मातृ वृक्षों (Mother Plants) से ही ...का चयन किया गया हो।
...लेखित पैकिंग में ही प्रदाय किये जाये।

...को छोड़कर सभी फलदार पौधे की उम्र 1 वर्ष से कम न हो।

8. पपीता के पौधों की उम्र 60 से 90 दिन से कम न हो।
9. पौधे क्रय हेतु जनपद पंचायत द्वारा नियुक्त दल, जिसमें एक व्यक्ति जनपद पंचायत का प्रतिनिधि एवं दो हितग्राही को प्रजातिवार पौधे के स्थल निरीक्षण एवं पौधे लोडिंग करते समय निरीक्षण के पश्चात ही पौधे प्रदाय किये जावे।
10. क्रय किये जाने वाले पौधे समयावधि में मानक गुणवत्ता ... दिवस के भीतर पहुंचाने की व्यवस्था करें।
11. एम.पी. एग्रो से अनुबंधित नर्सरियां जिनके द्वारा गतवर्ष समय पर या मानक गुणवत्ता के पौधे नंदन फलोद्यान उपयोजना में आपूर्ति नहीं किये गये थे, उन नर्सरियों को नंदन फलोद्यान उपयोजना में पौधा आपूर्ति की अनुमति नहीं दी जावेगी।
12. पौधा परिवहन के दौरान क्षतिग्रस्त पौधों के भुगतान के लिये पक्षकार क्रमांक 2 उत्तरदायी नहीं होंगे।
13. एम.पी.एग्रो नियमानुसार पौधों का संधारण (Procurment) जो कि म.प्र. शासन के वृक्षारोपण के निर्देशों के अनुरूप हो।
14. एम.पी.एग्रो संधारणं (Procurment) हेतु एवं पौधों की गुणवत्ता हेतु पूर्णतः जिम्मेदार रहेंगे।
15. पौधे प्रदायक एम.पी.एग्रो पौधे की गुणवत्ता एवं उपर्युक्त 12 एवं 13 के आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
16. एम.पी.एग्रो काली सूची (Black Listed) फर्मो को आदेश नहीं देगा।
17. एम.पी.एग्रो को पौधे प्रदायकर्ता फर्म के संबंधमें सभी प्रकार के "कर" (Taxes) आदि की जानकारी का निराकरण करवाकर ही पौधे क्रय किये जावें।
18. किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान एम.पी.एग्रो को नहीं किया जावेगा।
19. प्रत्येक जिले को प्रदाय करने वाले पौधों की संख्या निर्धारित कर एम.पी.एग्रो को सूचित किया जावेगा एवं उसमें कम या अधिक करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को ही रहेगा।
20. निर्धारित समय--सीमा में ही एम.पी.एग्रो को पौधे प्रदाय करने का उत्तरदायित्व रहेगा। यदि समय--सीमा में उपर्युक्तानुसार पौधे प्रदाय नहीं किये जाते हैं, तो प्रतिमाह में 2 प्रतिशत विलम्ब शुल्क कुल प्रदाय किये जाने वाले पौधे (जीवित पौधों का मूल्यांकन) लगाने को समय--सीमा के अतिभार एम.पी.एग्रो पर लगाया जावेगा।
21. समस्त पौधे अच्छी अवस्था में प्रदाय करने होंगे। यदि क्षतिग्रस्त होता है तो उसे एम.पी.एग्रो को बदलना होगा।
22. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रमुख सचिव (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग) एवं प्रमुख सचिव (कृषि विभाग) का आयोग निपटारा करेगा। वह निर्णय उभय पक्षों को मान्य करना पड़ेगा।

अनुबंधग्रहिता पक्षकार क्रमांक–2 को निम्नानुसार शर्तो का पालन करना होगा।

1. पक्षकार क्रमांक 1 की सूचना पर नर्सरी से परिवहन के पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के प्रतिनिधि एवं 2 हितग्राहियों के दल द्वारा पौधों का निरीक्षण सुनिश्चित कराया जावेगा।
2. अनुबंध में उल्लेखित प्रजाति व गुणवत्ता के पौधों का गंतव्य स्थल पर पहुंचने के उपरांत पुनः प्रजातिवार संख्या व गुणवत्ता का सत्यापन कराया जावेगा।

निर्धारित मानक को पूरा न करने वाले एवं क्षतिग्रस्त पौधों के संबंध में परियोजना अधिकारी के माध्यम से आपूर्तिकर्ता को 3 दिवस के अंदर सूचित किया जावेगा।

संलग्न अनुसार मानक गुणवत्ता के प्रजातिवार पौधों का भुगतान 30 दिवस के अंदर सुनिश्चित किया जावेगा।

6 पौधों के गुणवत्ता एवं मापदण्ड के लिए समय समय पर जारी मापदण्डों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पक्षकार क्रमांक 2 की होगी।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

अनुबंधग्रहिता

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
जिला पंचायत ....

अनुबंधकर्ता

पदनाम ....

.... विभाग

जिला ....